

14 11 2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगण एकपक्षीय। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि में बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि में विप्रार्थी आए दिन दंखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते हैं तथा विवादित भूमि को बेचान करने पर उत्तारू है, यदि इसमें सफल हो गए तो प्रार्थी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। अतं प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की रेकॉर्ड एवं मौका स्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन आदेश से विप्रार्थीगण को पांबद किया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में बंटवाड़ा करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं। ऐसी सूरत में हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विवादित भूमि का प्रार्थी एवं विप्रार्थी रिकार्डेड सहखातेदार हैं और सहखातेदारान को स्थगन आदेश से पांबद नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्विष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक क्लर्क
(S.D.O.) बालोतरा